

I/32466/2020

संख्या-653/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3

प्रेषक ,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ 0 प्र 0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ 0 प्र 0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2020

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु किट्स/कन्ज्यूमेबिल्स/उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 उ 0 प्र 0 शासन के पत्र सं0-1119/71-3-2020, दिनांक 07.10.2020 एवं अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 उ 0 प्र 0 शासन के पत्र सं0-3628/71-1-2020-जी-13/2016 टी0 सी0-2, दिनांक 06.10.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में के0 जी0 एम 0 यू0 लखनऊ में किट्स/कन्ज्यूमेबिल्स क्रय किये जाने हेतु रु0 5500.00 लाख (रु0 पचपन करोड़ मात्र) तथा राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु कुल 14 प्रकार के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रु0 810.00 लाख (रु0 आठ करोड़ दस लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 6310.00 लाख (रु0 तिरसठ करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा।
- (2) उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस संबंध में एसडीआरएफ से दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग

I/32466/2020

द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए 0 एम 0 सी0/सी0 एम 0 सी0 भी करायी जायेंगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11- 2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

Digitally signed by रेणुका
कुमार
Date: Tue Oct 20 18:40:57 IST
2020
Reason: Approved

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-653(1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ 0 प्र 0 प्रयागराज।
- 2- अनु सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1/3 उ 0 प्र 0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
- 4- वित्त अधिकारी, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ/राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर नगर।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
- 6- संबंधित मण्डलायुक्त, उ 0 प्र 0।

I/32466/2020

- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ 0 प्र 0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ 0 प्र 0।
- 9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-14/12/2020

प्रेषण संख्या:- 653
आवंटन आदेश संख्या:- 200-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6052-वित्त अधिकारी - छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा वि० वि० -लखनऊ, --01-a	वर्तमान प्रगामी	631000000 631000000	631000000 631000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	631000000 631000000	631000000 631000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरेसठ करोड़ दस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेसठ करोड़ दस लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

Minus Allotment Grid Report

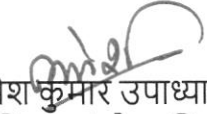
वित्तीय वर्ष:-2020-2021
समर्पण दिनांक-14/12/2020

प्रेषण संख्या:- 653
समर्पण आदेश संख्या:- 001-653
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का समर्पण)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6052-वित्त अधिकारी - छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा वि० वि० -लखनऊ, --01-a	वर्तमान प्रगामी	81000000 81000000	81000000 81000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	81000000 81000000	81000000 81000000

महायोग- (वर्तमान समर्पण):- रूपया आठ करोड़ दस लाख

महायोग- (प्रगामी समर्पण):- रूपया आठ करोड़ दस लाख


उमेश कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त
राहत